

1. गोपी पुत्र ग्यारसा
जाति मीना निवासी
टोडाभाटा तह. बस्सी।

बनाम

1. मन्नालाल पुत्र सीताराम
2. कालुराम पुत्र सीताराम
3. वृद्धिचन्द पुत्र सीताराम
4. छोटाराम पुत्र सीताराम
जाति मीना निवासी गेटोर
तह. सांगानेर।
5. तहसीलदार बस्सी।
6. उपपंजीयक बस्सी।

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कावेरालक नजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जयपुर
दापाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलेक्टर एवं कावेरालक नजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर
मुकदमा नम्बर 261/16 दिनांक 28.02.2018

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। वकील उभय पक्ष की प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए नि किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण ताफैसला वाद इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि 208 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा ग्राम टोडाभाटा तहसील बस्सी में अवैध निर्माण नहीं करे न ही भूमि की किस्म परिवर्तन करे न ही प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त बेदखल करे न ही भूमि के वि भू-भाग का बेचान करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किय प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कृषि भूमि ख.नं. 208 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम टोडाभाटा तहसील बस्सी प्रार्थी के एव स्वामित्व में चली आ रही है। सरासर गलत है। प्रार्थी ने ख.नं. 208 रकबा 25 बीघा 11 बिर से 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.1988 को प्रतिफल 49000 रुपये(अक्षरे उन्चास हजार रुपये) में अप्रार्थीगण को विक्रय कर विक्रयशुदा पश्चिमी दिश भूमि पर काबिज दाखिल करा दिया। अप्रार्थीगण के नाम उक्त कय के आधार पर नामान्तकरण 226 दिनांक 26.06.1989 को तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम का अमल च चुका है तथा अप्रार्थीगण कय के समय से अपनी कयशुदा भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्त काबिज है एवं काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। शेष वर्णित भूमि ख.नं. 233 व से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। चूकि ख.नं. 208 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा का विक्रय तन्हा खातेदार प्रार्थी था तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को विक्रय करने के पश्चात 9 बीघा 12 भूमि का नामान्तकरण अप्रार्थीगण के नाम तस्दीक होकर उसका अमल भी संवत 2047 की जमाब किया गया है। प्रार्थी ने तथ्य गलत वर्णित किये है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 गलत वर्णित गया है एवं स्वीकार नहीं है। प्रार्थी जो ख.नं. 208 का तन्हा खातेदार था, के द्वारा मिन अप्रार्थीगण विक्रय की गई पश्चिम दिशा की 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि का तस्दीक किया गया नामान्तकरण पू

Contd-

वैध रूप से तस्दीक किया गया है। चूँकि स्वयं प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को पश्चिम दिशा की अंगीकार किया है तथा उसी के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो वैधानिक तस्दीक किया गया है। जब प्रार्थी स्वयं ने मिन अप्रार्थीगण को पश्चिम दिशा की भूमि का विक्रय किया है तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य भूमि का विभाजन स्वतः ही हो गया तथा विशिष्ट भूमि विक्रय किये जाने के कारण मिन अप्रार्थीगण को विक्रय की गई भूमि का पृथक अंकन कानून किया गया है तथा अप्रार्थीगण को विक्रय की गई भूमि का ख.नं. 208/487 रकबा 9 बीघा बनाया गया है। जब प्रार्थी स्वयं ने पंजीकृत विक्रय पत्र में अप्रार्थीगण को पश्चिम दिशा की 12 बिस्वा भूमि विक्रय करना स्वीकार किया है तथा विक्रय की गई भूमि पर काबिज दाखिल तो प्रार्थी की पुनः स्वीकृति लिया जाना आवश्यक नहीं है। समस्त कार्यवाही प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर की गई है जो पूर्णतया वैध है। मिन अप्रार्थीगण नामान्तकरण 26.06.1989 को तस्दीक किया गया तथा अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज जानकारी प्रार्थी को प्रारंभ से होने पर भी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के नाम खुले नामान्तकरण तक कोई चुनौती नहीं दी बल्कि प्रार्थी ने बदनियतीवश अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान व गरज से यह मिथ्या वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं० तहरीर किया गया है एवं स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा नक्शा दुरुस्त कराने के लिये दावा प्रस्तुत किया है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के प्रावधान से स्पष्ट है कि नक्शा दुरुस्ती का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी ने पैरा नं. 5 में अपने आप को अप्रार्थीगण विक्रय करने के पश्चात ख.नं. 208 की शेष भूमि पर काबिज होना अंकित किया है। नक्शा दुरुस्ती कराने का कार्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता। प्रार्थी द्वारा प्रकार से सहायता चाही गयी है वह राजस्थान काश्तकारी के तहत प्रदान नहीं की जा सकती का वाद संधारणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 13 वर्णित किया गया है एवं स्वीकार नहीं है। वादी को कोई अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना नहीं है वादी को प्रतिवादीगण की भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही करने अथवा पाबंद कराने का अधिकार भी नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 14 गलत वर्णित किया है एवं स्वीकार नहीं है। प्र कोई प्रथम दृष्टा केस नहीं है न ही सुविधा का संतुलन ही प्रार्थी के पक्ष में है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के वकील ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 लगा 4 के नाम नामान्तकरण प्रार्थी की बिना जानकारी बिना सूचना सुनवाई का अवसर दिये स्वीकृत किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि के नक्शे में विभाजन कर दिया गया है। कानूनन भूमि का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार ही किया जा सकता है ग्राम पंचायत को विभाजन करने का व खाता अलग कर अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है और उनके कब्जा प्राप्त की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अप्रार्थीगण में निहित हो चुके हैं। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि लाठी के बल पर अवैध रूप से कब्जा करने व उसे विक्रय करने की फिराक में है। यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थन स्वीकार किया जाकर दावे के निर्णय तक पाबंद किया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त

का खातेदार है तथा प्रथम दृष्टा केस भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि अप्रार्थीगण को प किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। सुविधा का संतुलन भी पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में ही है।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में लिखे त हवाला देते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने ख.नं. 208 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा में 9 बीघा 11 पश्चिम दिशा की भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.1988 को अप्रार्थी कर दिया तथा विक्रय पत्र में विक्रयशुदा भूमि पर अप्रार्थीगण को काबिज दाखिल कराने और देने का तथ्य स्वीकार किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के चरण सं. 5 में भी प्रार्थी ने अप्रार्थीग भूमि विक्रय करने तथा ख.नं. 208 की विक्रय के बाद शेष बची भूमि पर ही अपना कब्जा ह तथ्यों को स्वीकार किया है। प्रार्थी ख.नं. 208 का एकमात्र ही खातेदार था जिसके द्वारा अप्रार्थीग 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि का विशिष्ट भू-भाग दिशा उल्लेखित करते हुए विक्रय की है इस प्रकार द्वारा अप्रार्थीगण को विक्रय की गई भूमि का विभाजन कराये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार ही हो गया। ग्राम पंचायत द्वारा तो विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया है उ द्वारा विभाजन की कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में विक्रय की गई की पहचान हेतु पृथक ख.नं. 208/487 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा कायम कर उसके अनुसार वादग्र भूमि के नक्शे में तरमीम की गई है जो वैध रूप से की गई है। प्रार्थी द्वारा मूलवाद में जिस प्रकार सहायता चाही है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं की जा सकती नामान्तकरण की स्वीकृति व नक्शे में तरमीम भू-राजस्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही चुनौती दी जा सकती है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 20 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा के संबंध में प्रार्थीगण को पाबंद किया जावे जबकि ख.नं. 208 का वर्तमान म रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा है तो न्यायालय द्वारा 25 बीघा 11 बिस्वा के संबंध में सहायता प्रदान नहीं की जा सकती। अप्रार्थीगण कय के समय से अपनी भूमि पर काबिज काश्त है यदि अप्रार्थीगण काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद किया गया तो प्रार्थी उसकी आड में अप्रार्थीगण की भूमि में नाजायज रूप से दखल कर बेदखल कर दिया तो अप्रार्थीगण को अपार क्षति होगी। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टा मामला है न ही उसे किसी प्रकार की क्षति होने की ही कोई संभावना है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के वकीलो द्वारा की गई बहस का मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजों से यह निर्विवाद है कि विवादित भूमि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान की गई है जिसमें कब्जा अप्रार्थीगण को देने का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 5 में अप्रार्थीगण को भूमि विक्रय करने व शेष भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 1989 में अप्रार्थी को विवादित भूमि का बेचान किया एवं कब्जा संभलाया गया। ऐसी स्थिति में 25 वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत होने के प्रार्थी द्वारा बंटवारे पर आपत्ति करने का